<u>पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड</u>

‘<u>मैटीरियल सब्सिडियरी</u>’ <u>पर नीति</u>

1. <u>प्रयोजन और कार्य-क्षेत्र</u>

‘मैटीरियल सब्सिडियरी’ कंपनियों से संबंधित नीति, यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार की गई है।

इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक उनको इसके बाद परिभाषित न किया जाए, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार वही होगा जो क्रमशः उन्हें दिया गया है और इसमें इसकी परिभाषा या व्याख्या न होने पर इसका अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013/सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए/जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों के अनुसार होगा।

2. <u>परिभाषा</u>

<u>मैटीरियल सब्सिडियरी</u>

किसी भी सब्सिडियरी को मैटीरियल तब माना जाएगा जिसकी -

क) आय पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (णों) के अनुसार पीएफसी की समेकित आय से 10% अधिक हो।

अथवा,

ख) नेटवर्थ पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण(णों) के अनुसार, पीएफसी की समेकित नेटवर्थ से 10% अधिक हो।

3. <u>गवर्नेंस फ्रेमवर्क</u>

i. पीएफसी:

उन मामलों को छोड़ कर जहाँ इस प्रकार का विनिवेश किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की स्कीम के अंतर्गत या दिवालियापन की संहिता की धारा 31 के अंतर्गत विनियम अनुमोदित समाधान योजना के अंतर्गत किया जाता है और योजना के अनुमोदित होने के एक दिन के भीतर इस घटना का मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण किया जाता है, अपनी आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किए बिना-

क) अपनी मैटीरियल सब्सिडियरी में शेयर नहीं बेचेगा (स्वयं या अन्य सब्सिडियरी के साथ मिल कर) जिससे इसकी शेयरधारिता घट कर 50% या इससे कम रह जाए।

ख) मैटीरियल सब्सिडियरी पर नियंत्रण की कवायद समाप्त नहीं करेगा।

इसके अतिरिक्त, पीएफसी

जब तक न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की स्कीम (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के अंतर्गत या दिवालियापन संहिता की धारा 31 के अंतर्गत विधिवत अनुमोदित समाधान योजना के अंतर्गत परिसंपत्ति की बिक्री/निपटान/पट्टा नहीं किया जाता है और योजना के अनुमोदित होने के एक दिन के भीतर संकल्प ऐसी किसी घटना का मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण किया जाता है तो विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना

ग) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र आधार पर मैटीरियल सब्सिडियरी की परिसंपत्तियों के 20% से अधिक की परिसंपत्तियों को न बेचेगा, न निपटान करेगा और न पट्टे पर देगा।

ii. पीएफसी के निदेशक मंडल का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक ऐसी गैर-सूचीबद्ध मैटीरियल सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) के बोर्ड में निदेशक होगा जो चाहे भारत में निगमित हुई हो या भारत में निगमित न हुई हो।

इस खंड के प्रयोजनार्थ ''मैटीरियल सब्सिडियरी'' पद का अर्थ होगा ऐसी सब्सिडियरी जिसकी आय या निवल पूँजी क्रमशः ठीक पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में पीएफसी या इसकी सब्सिडियरी की समेकित आय या निवल पूँजी से 20% अधिक हो।

iii. पीएफसी की लेखापरीक्षा समिति, वित्तीय विवरणों, विशेषकर गैर-सूचीबद्ध सब्सिडियरी द्वारा किए गए निवेशों की भी समीक्षा करेगी।

iv. गैर-सूचीबद्ध सब्सिडियरी कंपनी की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत, पीएफसी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे।

v. गैर-सूचीबद्ध सब्सिडियरी का प्रबंधन, ऐसी सब्सिडियरी कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्त्वपूर्ण लेन-देनों और व्यवस्थाओं को आवधिक रूप से पीएफसी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाएगा।

इस खंड के प्रयोजन से "महत्त्वपूर्ण लेन-देन और व्यवस्थाओं" का अर्थ है- कोई एकल लेन-देन या व्यवस्था जो ठीक पूर्ववर्ती लेखांकन-वर्ष के लिए गैर-सूचीबद्ध सब्सिडियरी के कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल परिसंपत्तियों या कुल देयताओं, जैसा भी मामला हो, के 10% से अधिक हो जाता है।

4. <u>प्रकटीकरण</u>

इस नीति का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा और उसका वेब लिंक वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाएगा।

5. <u>सीमा</u>

यदि सांविधिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि में बाद में कोई परिवर्तन होता है जो नीति में किसी प्रावधान को उनके साथ असंगत कर देता है, तो नीति के स्थान पर सांविधिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि के प्रावधान लागू होंगे।

6. <u>नीति की समीक्षा</u>

विनियमों में परिवर्तन के कारण या निदेशक मंडल द्वारा उचित समझे जाने पर विनियमों में जब कभी नीति में परिवर्तन किए जाते हों, तो निदेशक मंडल द्वारा इस नीति की समीक्षा की जाएगी।